



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2020/HQ/Admin/RTI-692

New Delhi: 14.09.2020

Sh. Vivek Singhal
Muzaffarnagar
UP

Subject: Providing information w.r.t. Original Application received under the RTI Act.2005.

Reference: Your RTI application dated 29.07.2020 received through CGM/Meerut's office on 14.09.2020.

You have submitted your above RTI application at CGM/Meerut's office. The CGM/Meerut's office, here the deemed PIO, has forwarded the same along with copy of information sought to this office which is attached.

Hope the above information is complete and satisfactory. If not, then you can appeal within 30 days of receipt of the letter to the 1st Appellate Authority whose name and address is as under;

Ms. R. P. Chhibber
GM/Administration DFCCIL,
5th Floor, Supreme Court Metro Station Building,
Pragati Maidan, New Delhi-110001.


14.9.2020

(S.K. Roy)

Dy. G.M/Admn.(PIO)

E-mail: skroy@dfcc.co.in

011-23454707

DA: 01 sheet

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालयपांचवा तल :, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली 110001 -

Regd. & Corporate Office: 5th Floor, Supreme Court Metro Station Building Complex, New Delhi-110001

Tel23454700-11-91+ :, Fax 23454701-011 :Web :www.dfccil.gov.in CIN :U 60232 DL2006 GOI155068

पत्रांक- सी0पी0एम0 / डी0एफ0सी0 / एम0टी0सी0 / ई0एन0 / आर0टी0आई0 / वोल्यूम-7

डिप्टी जी0एम0 / एडमिन(पी0आई0ओ0),
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0, कॉर्पोरेट ऑफिस।

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- (1) उत्तर रेलवे का पत्रांक सं0- म.अभि./सामान्य/आरटीआई/डब्ल्यूसी/4928 दि0- 31.07.2020
(2) आवेदनकर्ता श्री विवेक कुमार (अधिवक्ता) का पत्र- दिनांक 29.07.2020.

सन्दर्भित पत्र के माध्यम से चाही गयी सूचना की जानकारी निम्नवत है।

क्र0 सं0	चाही गयी सूचना	उपलब्ध करायी जा रही सूचना
1	यह कि सकौती मिल बाजार रेलवे स्टेशन के नजदीक दुकानों के ध्वस्तीकरण की अन्तिम तिथि क्या है।	सकौती मिल बाजार रेलवे स्टेशन के नजदीक स्थित भूमि ग्राम सभा/राज्य सरकार सम्पत्ति से कब्जा हटाने के लिये नोटिस सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी (मू0अ0) सं0सं0 मेरठ द्वारा दिनांक 07.07.2020 को निर्गत किया गया है। सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी (मू0अ0) सं0सं0 मेरठ द्वारा निर्गत नोटिस के अनुसार 07 दिनों के अन्दर कब्जा हटाया जाना नियत किया गया था।
2	यह कि दुकानों के ध्वस्तीकरण के मुआवजे की क्या धनराशि निर्धारित की गई है।	ग्राम सभा/राज्य सरकार सम्पत्ति पर स्थित परिसम्पत्तियों का मुल्यांकन लोक निर्माण विभाग, जनपद मेरठ द्वारा किया गया है। मुल्यांकन के पश्चात दुकान सं0- 16 का मुल्यांकन 62,982 रु0 निर्धारित किया गया है।
3	यह कि मुआवजा किस आधार पर दिया जा रहा है।	यह सूचना उपरोक्त पैरा सं0 2 में दी गयी है।
4	यह कि किरायेदारों के लिए मुआवजा की धनराशि क्या निर्धारित की गई है।	किरायदार को किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।
5	यह कि मुआवजा कितनी जगह के लिए व कितने वर्ग गज के हिसाब से दिया जा रहा है।	अर्जित भूमि ग्राम सभा/राज्य सरकार की होने के कारण कब्जाधारियों को भूमि का प्रतिकर नहीं दिया गया है। केवल उक्त भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के मुल्यांकन धनराशि का ही भुगतान किया गया है।

संलग्नक- (1) उत्तर रेलवे का पत्रांक सं0- म.अभि./सामान्य/आरटीआई/डब्ल्यूसी/4928 दि0- 31.07.2020
(2) आवेदनकर्ता श्री विवेक कुमार (अधिवक्ता) का पत्र- दिनांक 29.07.2020.


(महावीर सिंह)

उप जनसूचना अधिकारी/
उप परियोजना प्रबन्धक/विद्युत
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0/मेरठ